राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6356/2022

डॉ. नयन कुमार (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेजे2015230029359)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.12.2022
आदेश की दिनांक : 15.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन सीएचसी मण्डावा, जिला झुंझुनू से सीएचसी गुढामलानी, बाड़मेर किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के केवल निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी चिकित्सा अधिकारी के पद पर बीडीके चिकित्सालय, झुंझुनू में ही कार्यरत है तथा राज्य सरकार की नीति पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में रहने पर उन्हें एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित करने की रही है, जिसके विरूद्ध जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.07.2022 को माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 15155/2022 के द्वारा चुनौती दी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में अभ्यावेदन देने की छूट देते हुए उच्च न्यायालय ने

रिट याचिका का निस्तारण किया था एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये थे कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाये। इसके उपरांत अपीलार्थी ने अपना प्रतिवेदन प्रत्यर्थी विभाग में दिया था। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग ने कोई आख्यात्मक आदेश पारित नहीं किया एवं अभ्यावेदन केवल निरस्त किया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी ने दस्वातेज प्रदर्श–5 पारित किया है, जो प्रत्यर्थी विभाग का आदेश दिनांक 29/30.11.2022 है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में पारित किया गया है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभ्यावेदन पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर उचित प्रकार से विचार नहीं किया और आख्यात्मक आदेश पारित नहीं किया।

4. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष नये सिरे से एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)